कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 328/आउशि/नि.का/09 — भोपाल, दिनांक 24.06.09

प्रति,

1– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
समस्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।

2– प्राचार्य,
समस्त, शा0 महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः–प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत छात्राओं के चयन के संबंध में।

–:0:–

जैसा कि आपको विदित है कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चियों को प्रतिभा–किरण योजना के अंतर्गत 500/– रू0 प्रतिमाह के हिसाब से 5000/–रू0 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है, किन्तु गत वर्षों के अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है कि इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त प्रचार–प्रसार न होने के कारण प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यंत कम है। अतः प्रक्रिया में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है–

1– जिला अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य क्षेत्रीय सांसदों, विधायकों, स्थानीय निकायों के अध्यक्षों तथा समस्त प्राचार्यों के साथ एक बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी नगरीय क्षेत्रों से प्रथम श्रेणी में हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण सम्पूर्ण बालिकाओं के नाम, पिता का नाम तथा पते सहित सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। बालिकाओं के अभिभावक एवं पिता/माता के नाम तथा निवास स्थान के आधार पर नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों में से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई छात्राओं की सूची बैठक में ही तैयार करेंगे।

2– अतः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्व से ही अवगत करा दिया जाए कि वे आवश्यक जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित हों।

3– बैठक में चयनित छात्राओं के लिए बैठक के दिन ही संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा प्रतिभा किरण योजना की पात्रता का प्रमाण–पत्र तैयार किया जायेगा।

4– इस प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन का प्रारूप एवं माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा की ओर से प्रेषित किये जाने वाले पत्र को डाक से संबंधित छात्राओं के घर भेजा जायेगा।

5— यही नहीं स्थानीय न्यूज चैनलों में टिकर के माध्यम से एवं कालेज में बैनर लगाकर इस योजना के अर्हता संबंधी जानकारी की पर्याप्त प्रचार—प्रसार किया जायेगा।

6— प्रचार—प्रसार के लिए योजना की जानकारी के पम्पलैट जनभागीदारी निधि से छपवाकर प्रत्येक वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रर्याप्त संख्या में दे दिये जायें ताकि वे अपने—अपने क्षेत्रों के लोगों को इस येाजना की जानकारी दे सकें।

इस परिवर्तित चयन प्रकिया के माध्यम से दिनांक 31 जुलाई 2009 तक समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची ई—मेल के माध्मय से इस कार्यालय में प्रेषित करवाने का कष्ट करें जिससे बालिकाओं को समय से छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,

पृ. कमांक 321 /आउशि/नि.का/09 भोपाल, दिनांक 24.06.09

प्रतिलिपिः—

1— संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ।

2— संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,